न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– अधिग्रहण वाद सं0–01/2015–16 राज्य बनाम शंभू भगत एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	***आदेश*** यह आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण वाद सं0 01/2015–16 अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 834 दिनांक 22.04.2015 एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 292/जि0आ0, दिनांक 28.04.2015 के आलोक में प्रारंभ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर के पत्रांक 58 दिनांक 07.04.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 07.04.2015 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य की उपस्थिति में विष्णुपुर ग्राम पंचायत माली में मुकेश कुमार सिंह, पे0 भूपेन्द्र नारायण सिंह के घर के पास से कालाबाजारी के नियत से ट्रैक्टर पर लदे 80 बोरा चावल जिसका वजन 47.30 क्वीं0 है, जप्त किया गया एवं तदोपरांत दिनांक 06.04.2015 को विधिवत जप्ती सूची तैयार की गयी तथा बेलदौर पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्रीमती सुशीला देवी के समक्ष जिम्मेनामा तैयार किया गया एवं कुल 80 बोरा चावल जिसका वजन 47.30 क्वीं0 सुरक्षित रखने हेतु उन्हें दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा श्री मुकेश कुमार सिंह पिता भूपेन्द्र नारायण सिंह के ब्यान के आधार पर शम्भू भगत, पंकज यादव पिता चलित्तर यादव, साकिन–माली एवं ट्रैक्टर संख्या BR34–9609 के ड्राइवर मुकेश कुमार सिंह पिता बुचैय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 एवं अन्य के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसका बेलदौर थाना कांड सं0–71/15 दिनांक 06.04.2015 है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा उक्त जप्त चावल को उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर पर वितरण कर प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा कराने की स्वीकृति की मांग की गयी है। उपरोक्त के आलोक में अधिग्रहण की कार्यवाही	

प्रारंभ की गयी तथा विपक्षी को कारण पृच्छा नोटिश निर्गत की गयी कि क्यों नहीं जप्त 47.30 क्वीं0 चावल (80 बोरा) खाद्यान्न सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया जाए।

उक्त के आलोक में विपक्षी शम्भू भगत, पे0–रामचन्द्र भगत, साकिन–कंजरी एवं पंकज यादव पे0 चलितर यादव साकिन माली की ओर से कारण पृच्छा का जबाव दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि शम्भू भगत खुदरा घुम–घुम कर किसानों एवं मजदूरों से खरीद कर एफ0सी0आई0 द्वारा बेचा गया खाली बोरा बाजार से खुदरा व्यापारी द्वारा खरीदकर आवेदक उसी बोरा में चावल रखते थे और बोरा भरने के बाद हाथ से सिलाई करते है और बोड़े का वजन करीब 60 के0जी0 होता है। एफ0सी0आई0 के द्वारा किया गया आपूर्ति माल की सिलाई नशीन से होती है और उसमें सरकार का कूपन लगा रहता है। लेकिन इस केस में जप्त चावल सरकार का नहीं है और सरकार द्वारा किया गया आपूर्ति नहीं है। मात्र शंका के आधार पर गरीब छोटे–छोटे व्यवसायी का चावल अनावश्यक रूप से जप्त कर शंका के आधार पर गलत केश कर दिया गया है। इस वाद में जप्त चावल अधिग्रहण लायक नहीं है और जप्त चावल गरीब छोटा व्यवसायी आवेदक शम्भू भगत का है।

उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मुकेश सिंह आवेदक शम्भू भगत जिस ट्रैक्टर से खुदरा खरीदा गया चावल बोरा में रख कर ले जा रहा था उसका ड्राईवर है और पंकज यादव आवेदक शम्भू भगत का खुदरा व्यवसायी सहयोगी है। इसलिए अनावश्यक इस वाद में नाम दे दिया गया है। उनका कहना है कि जप्त कुल चावल 80 बोरा आवेदक शम्भू भगत को न्यायहीत में मुक्त करना आवश्यक है और सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है जो बेलदौर थाना कांड सं0–71/15 के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं साक्ष्य से स्पष्ट है। उनके द्वारा आवेदक का कुल 80 बोरा चावल शम्भू भगत के पक्ष में मुक्त करने एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जप्त किये गये 80 बोरा चावल काला बाजारी हेतु ले जाया जा रहा था तथा प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में अपने कारण पृच्छा के साथ अपने कथन के समर्थन में कोई

कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जप्त चावल अधिग्रहण योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि शम्भू भगत, पिता स्व0 रामचन्द्र भगत, साकिन कंजरी, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया द्वारा विष्णुपुर ग्राम पंचायत माली में मुकेश कुमार सिंह पे0 भूपेन्द्र नारायण सिंह के घर के पास से कालाबाजारी की नियत से ट्रैक्टर पर लाद कर 80 बोरा चावल जिसका वजन 47.30 क्वीं0 है कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। प्रतिवादी का यह कथन कि शम्भू भगत घुम–घुम कर किसानों एवं मजदूरों से खरीदकर एफ0सी0आई0 द्वारा बेचा गया खाली बोरा में चावल रखते थे और बोरा भरने पर हाथ से सिलाई करते थे। इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त चावल अधिग्रहण योग्य है। अतः उक्त 80 बोरा चावल जिसका वजन 47.30 क्वीं0 है अधिग्रहित किया जाता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर को आदेश दिया जाता है कि उक्त जप्त चावल जो दिनांक 06.04. 2015 को विधिवत जप्ती सूची तैयार कर बेलदौर पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्रीमती सुशीला देवी के समक्ष जिम्मेनामा तैयार कर कुल 80 बोरा चावल जिसका वजन 47.30 क्वीं0 है सुरक्षित रखने हेतु दिया गया, उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर पर वितरित कर प्राप्त राशि को (अनुमंडल नजारत) सरकारी खजाने में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। अतएव इस स्तर पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया 6/9/17

न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला ... खगड़िया (बिहार)

समाहर्ता, खगड़िया 6/9/17

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	02.	3.

डी० बी० नं0 335 /विधि, दिनांक 26-9-17.

प्रतिलिपिः–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

26/9/17